

पत्र संख्या-गव्य(आ0-7) 02/2025-(41)-52 (अग्र)
(डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग)
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

विनय कुमार चौधरी,
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद/पूर्णियाँ प्रभारी अररिया/अरवल/बाँका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/
लखीसराय/ मधुबनी/मधेपुरा/ मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णियाँ/पटना/ शेखपुरा/ सीतामढ़ी/
सुपौल/सारण/सिवान/ कैमुर/ दरभंगा/समस्तीपुर/गयाजी/भोजपुर/खगड़िया/बेगुसराय/
पश्चिम चम्पारण।

पटना -15, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटशीर्ष,"2404-डेरी विकास-राज्य स्कीम-003-प्रशिक्षण-0101- प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404000030101, विषय शीर्ष -0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत ₹ 8,58,000/- (आठ लाख अठावन हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)11/2013-5058, दिनांक-11.12.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹40,04,000/- (चालीस लाख चार हजार रुपये) के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के लघु कृषकों, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हों अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हों, को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान/दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पटना में राज्य के लघु कृषकों, प्रगतिशील डेयरी कृषक, बेरोजगार युवक/युवतियों जो गव्य व्यवसाय से जुड़े हों अथवा जुड़ने की इच्छा रखते हों, को गव्य विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण की योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न विवरणी के अनुसार विषयांकित बजट शीर्ष में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत ₹8,58,000/- (आठ लाख अठावन हजार रुपये) मात्र निम्नवत राशि आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष 0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध	विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष 0101.20.03- प्रशिक्षण व्यय		
		पूर्व आवंटन	वर्त० आवंटन	कुल योग
1	₹5,40,00,000/-	0	₹8,58,000/-	₹8,58,000/-

3) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं 235 दिनांक 01-04-2025 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4) व्यय का विकलन बजटशीर्ष,"2404-डेरी विकास-राज्य स्कीम-003-प्रशिक्षण-0101-प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष -0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से होगा।

5) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।

6) निकासी की गई राशि की विवरणी तथा कोषागार प्रमाणक संख्या तिथि के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं पंजी भी संधारित करें। साथ ही त्रैमासिक व्यय विवरणी एवं मासिक व्यय विवरणी(CFMS प्रणाली में सृजित Monthly Expenditure Report एवं Report of Availibility of Allotment की प्रति सहित) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7) विभागीय राज्यादेश संख्या-4345,दिनांक-03.10.2025 के आलोक में नव सृजित 09 नौ जिला गव्य विकास कार्यालय के संदर्भ में गव्य प्रक्षेत्र की स्वीकृत विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को लक्ष्य अनुरूप राशि आवंटित किया गया है। फलस्वरूप विभागीय राज्यादेश संख्या-4345, दिनांक-03.10.2025 के आलोक में नव सृजित 9 जिला गव्य विकास कार्यालय के क्रियाशील होने के पश्चात् संदर्भित योजना अन्तर्गत आवंटित राशि के व्यय उपरांत अव्यवहृत राशि को संबंधित नौ जिला गव्य विकास कार्यालय को हस्तांतरित/अतरित कर दिया जाय।

कृ०पृ०उ०

8) प्रस्ताव में सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

/ पटना -15, दिनांक-

प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

/ पटना -15, दिनांक-

प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं संबंधित जिला पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-

/ पटना -15, दिनांक-

प्रतिलिपि- अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/अररिया/अरवल/बाँका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालन्दा/नवादा/पूर्णिया/पटना/शेखपुरा/सीतामढ़ी/सुपौल/सारण/सिवान/कैमूर/दरभंगा/समस्तीपुर/गयाजी/भोजपुर/खगड़िया/बेगुसराय/पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य(आ0-07)02/2025-58(आ0)

/ पटना -15, दिनांक-19/03/2026

प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ प्रबंधक (आई0टी0), डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B. K. Choudhary
19.3.26
निदेशक (गव्य)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश सं० 5058 दिनांक 11.12.2025 के आलोक में मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0101- प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404000030101, विषयशीर्ष-0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय अंतर्गत ₹ 8,58,000/- (रु० आठ लाख अंठावन हजार मात्र) की राशि का आवंटन:-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पशुपालकों/कृषकों/प्रशिक्षणार्थियों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण हेतु परिवहन/भाड़ा मद हेतु आवंटित राशि		कुल आवंटन (रुपये में)	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	0	45000	0	45000
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रमारी-अररिया	0	22500	0	22500
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल	0	45000	0	45000
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	0	45000	0	45000
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	0	45000	0	45000
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर	0	22500	0	22500
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	0	22500	0	22500
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	0	22500	0	22500
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, लखीसराय	0	22500	0	22500
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी	0	22500	0	22500
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	0	45000	0	45000
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	0	22500	0	22500
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नालन्दा	0	30000	0	30000
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नवादा	0	22500	0	22500
15	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	0	22500	0	22500
16	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	0	52500	0	52500
17	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, शेखपुरा	0	15000	0	15000
18	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0	60000	0	60000
19	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	0	22500	0	22500
20	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, छपरा	0	45000	0	45000
21	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सिवान	0	22500	0	22500
22	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, भोजपुर	0	22500	0	22500
23	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, दरभंगा	0	22500	0	22500
24	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर	0	22500	0	22500
25	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, खगड़िया	0	22500	0	22500
26	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कैमुर	0	18000	0	18000
27	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पश्चिमी चंपारण	0	22500	0	22500
28	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गयाजी	0	22500	0	22500
29	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बेगूसराय	0	30000	0	30000
योग:-		0	858000	0	858000

(आठ लाख अंठावन हजार रुपये) मात्र

BK Choudhary
19.7.20
निदेशक (गव्य)